तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-6-22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी वादवर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। आराजीयात का प्रार्थी सीमाज्ञान करना चाहता है क्योंकि मौके पर मेड़ पाली व घास आदि काटने बाबत पड़ौसी खातेदारों जो कि अप्रार्थीगण हैं से विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से मौके की पत्थरगढ़ी हेतु दिनांक 20 जनवरी 2021 को कहा तो मना कर दिया इसलिए यह प्रार्थना पत्र विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश किया है जिसे स्वीकार फरमा पत्थरगढ़ी के आदेश फरमावें। बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्पष्ट पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दिशाओं का अंकन तथा प्रत्येक दिशा में कौन-कौन पड़ौसी है कोई वर्णन अंकित नहीं किया है। वर्तमान में प्रार्थना पत्र में जिन्हें अप्रार्थी संयोजित किया है उनके द्वारा भूमि का विक्रय कर दिए जाने से वर्तमान में पड़ौसी खातेदार बदल गए हैं जिन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस के तथ्यों तथा धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तथा अप्रार्थी सं० 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर मनन किया। प्रथमतः पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया जाना होता है कि किस दिशा में कौन-2 पड़ौसी खातेदार है तथा किस तरफ के पड़ौसी से किस प्रकार का विवाद है। उक्त तथ्यों को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम अहल हुक्म में
	में स्पष्ट वर्णित नहीं किया है। द्वितीय अप्रार्थी ने अपने जवाब में जिन दिशाओं व पड़ौसियों का वर्णन अंकित किया है उसे प्रार्थी ने अस्वीकार नहीं किया है अर्थात जो अप्रार्थी ने अपने जवाब में जिन दिशाओं के खातेदारों के नाम दर्शाये हैं उन्हें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। तृतीय बिन्दु बहस में वकील अप्रार्थी ने बताया कि जिन्हें प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में पक्षकार बताया है उनके द्वारा अपनी भूमियों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया है। इस तथ्य का खण्डन भी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में नहीं किया है। अतः प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं कुसंयोजन पक्षकारों के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	